सेवा में वापसी शुरू, संकट बरकरार

2012 की जांच रिपोर्ट के हवाले से नोटिस में पूछा, क्यों न कर दें सेवा समाप्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : हाईकोर्ट से निराश होने के बाद मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेवा से बर्खास्त 35 कर्मचारियों की सेवा में वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब सभी को अनिवार्य रूप से अगले तीन सप्ताह में देना होगा।

16 दिसंबर 2016 को कर्मचारियों की अपील पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी संबंधी विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड के फैसले को निरस्त कर दिया था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका भी प्रस्तुत की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2017 को खारिज कर दिया था। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने मामले में प्राकृतिक न्याय नहीं होने की बात कहते हुए विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे।

नहीं मिला था प्राकृतिक न्याय : करीब एक वर्ष के इंतजार के बाद कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जा रहा है, लेकिन अब भी उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटकती रहेगी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड ने बगैर कर्मचारियों का पक्ष लिए बर्खास्तगी का फैसला ले लिया था, जो अनुचित था। ऐसे में अब कारण बताओ नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों से पक्ष मांगा है।

एमएमएमयूटी

- **अगले तीन सप्ताह में देना होगा कर्मचारियों को नोटिस का जवाब**
- **हाईकोर्ट ने दिसंबर में रद कर दिया था बर्खास्तगी का आदेश**

ऐसे बढ़ा था विवाद

एमएमएम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तत्कालीन इंजीनियरिंग कालेज) में फरवरी-2009 में समूह ग और घ श्रेणी के 35 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं। 22 फरवरी 2009 को नियुक्तियों के लिए हुए साक्षात्कार का परिणाम जून 2009 में घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद से ही पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे। तमाम आरोप-प्रत्यारोप और शिकायतों के बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच कराई गई।

जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इस बीच कालेज, विश्वविद्यालय के रूप में उच्चीकृत हो गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन प्राचार्य डा .बीबी सिंह पर मनमाने ढंग से नियमों को ताख पर रखकर नियुक्तियां किए जाने की बात साफ हुई।

इस पर कार्रवाई स्वरूप प्राचार्य डा .सिंह के पेंशन से 30 फीसद की कटौती का भी दंड लगाया गया। अक्टूबर 2015 में शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को जांच आख्या सौंपते हुए 35 कर्मचारियों की नियुक्तियां निरस्त करने का निर्देश दिया, जिसके बाद 30 जनवरी 2016 को हुई विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और फिर कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों ने प्रबंध बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

पूछे हैं यह सवाल : कारण बताओ नोटिस में कर्मचारियों को प्रकरण बाबत राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट का हवाला देकर सवाल पूछा गया है। 12 जनवरी 2012 की इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2009 में हुई इन नियुक्तियों में धांधली, नियमों का उल्लंघन, अपनों को उपकृत करने जैसे बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हुई थी। अक्टूबर-2015 में शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को जांच रिपोर्ट के हवाले से सभी 35 नियुक्तियां निरस्त करने का निर्देश दिया था।

अब कर्मचारियों से इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि देकर पूछा गया है कि क्यों न उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाए।